संख्या–29 / XVI / 04 / 7(04) / 2004

प्रेषक,

एस0पी0सुबुद्धि
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
रेशम विकास
प्रेमनगर, देहरादून

उद्यान एवं रेशम अनुभाग, देहरादून दिनांक, 19 अगस्त 2004

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 में आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध मदों के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1401 / रेशम / तक0अनु0 / बजट / 2004–05 दिनांक 6.8. 2004 के संदर्भ में अनुदान संख्या 29 में लेखाशीर्षक 2401– फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर 119–बागवानी तथा सब्जियों की फसलें,07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास, 0701 अधिष्ठान के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार वचनबद्ध मदों के व्यय हेतु 21368 हजार(दो करोड़ तेरह लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रु0 में)

क्र.सं.	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि	अब स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1.	01– वेतन	15000	4500	10500
2.	02–मजदूरी	450	150	300
3.	03– मंहगाई भत्ता	3150	2970	180
4.	05– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	150	17	133
5.	06– अन्य भत्ते	2000	495	1505
6.	09– विद्युत देय	500	133	367
7.	10–जलकर / जलप्रभार	150	33	117
8.	13– टेलीफोन व्यय	250	50	200
9.	15– गाडियो का अनुरक्षण पैट्रोल	300	67	233
10.	2– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	500	167	333
11.	48– मंहगाई वेतन	7500	–	7500
	योग–	**29950**	**8582**	**21368**

(दो करोड़ तेरह लाख अडसठ हजार मात्र)

1.इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिए ही किया जावेगा।
2.व्यय को करते समय शासन के समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3.किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया(स्टोर्से पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम / शासनादेश आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

4.अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेंजिग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय जिससे राज्य स्तर पर कैशफलों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5.निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणन/पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6.व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7.व्यय केवल उन्ही मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है किसी प्रकार का मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

8.व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा।

9.वित्तीय वर्ष 2004-05 में इसे पूर्ववर्ती वर्षों का एरियर भुगतान यदि कोई हो तो के विवरण की सूचना विभाग द्वारा पृथक से रखी जायें.

10.इस समय में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म कमशः, 119-बागवानी और सब्जियों की फसलें,07-शहतूत की खेती एवं रेशम विकास 0701-अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जावेगा।

भवदीय

(एस0पी0सुबुद्धि)
अपर सचिव

संख्या-29/XVI/04/7(04)/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार,उत्तरांचल ओबराय भवन सहारनपुर रोड देहरादून।
2.वित्त विभाग-2,उत्तरांचल शासन।
3.गार्ड फाईल।
4.राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
5.वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून/गोपेश्वर/हल्द्वानी।

आज्ञा से

(गरिमा रौंकली)
अनु सचिव